भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- †*364

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2023

वन धन विकास योजना

†*364.श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के पालघर के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड हैं और महाराष्ट में कितने वन धन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य-वार कितने वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है और यह कार्यक्रम आरम्भ होने के उपरांत जनजातियों को अब तक आबंटित और प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

'वन धन विकास योजना' के संबंध में श्री राजेन्द्र धेड्या गावित एवं श्री वाई. देवेन्द्रप्पा द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*364 के उत्तर के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में विवरण

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय, 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) की योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र सहित देश भर में जनजातीय आबादी के लिए आजीविका संबंधी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वीडीवीके एकत्रण, प्रसंस्करण, मूल्य-संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मूल्य-वर्धित जनजातीय एमएफपी और गैर-एमएफपी उत्पादों / उत्पादों की बिक्री के प्रत्येक चरण में उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी को जोड़कर उन्हें जनजातियों के परम्परागत ज्ञान और कौशल सेट में ढालते (टैप करते) हैं, जिससे उन्हें बेहतर पारिश्रमिक मिलता है। एक वीडीवीके में 15 एसएचजी होते हैं, जहां प्रत्येक एसएचजी में लगभग 20 लाभार्थी होते हैं। इस प्रकार, 300 लाभार्थियों के एक समूह से एक वीडीवीके का गठन होता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन- 'ट्राइफेड' राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) को प्रति वीडीवीके 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि यह कार्यक्रम मांग आधारित है, इसलिए, कोई आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र सहित देश में स्वीकृत वीडीवीके का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'वन धन विकास योजना' के संबंध में दिनांक 27.03.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या †*364 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण में उल्लेखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत वीडीवीके की संख्या	वन धन लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	85	25500	1275
3	असम	471	1,43,309	7065
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	116	34424	1721.2
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू और कश्मीर	100	29791	1457
10	लद्दाख	10	3000	150
11	झारखंड	146	43,701	2,174.7
12	कर्नाटक	140	41748	2087.4
13	केरल	44	12038	597.25
14	मध्य प्रदेश	126	37,860	1,890
15	महाराष्ट्र	264	79350	3960
16	मणिपुर	200	60403	2996.8
17	मेघालय	39	11835	584.1
18	मिजोरम	159	46168	2306.55
19	नागालैंड	216	64,798	3239.9
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	479	144803	7135.6
22	सिक्किम	80	23801	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	12,516	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	22	6719	329.35
कुल		**3555**	**10,59,571**	**52,777.05**

*****